रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226352
CG-DL-E-01042021-226352

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 2021/चैत्र 11, 1943
No. 140] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2021/CHAITRA 11, 1943

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 08 मार्च 2021

फा.सं. CEA-PS-11-21(21)/5/2020-PSPA-I Division.—जबकि मेसर्स पावरग्रिड फतेहगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब इंस्टिटयूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली -110016 में है, ने पारेषण योजना “राजस्थान एसईजेड, भाग-बी से एलटीए अनुप्रयोग से सम्बन्धित पारेषण प्रणाली स्थापना” के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-11-16(14)/1/2019-PSPA-I दिनांक 08.04.2019 के द्वारा पारेषण योजना “राजस्थान एसईजेड, भाग-बी से एलटीए अनुप्रयोग से सम्बन्धित पारेषण प्रणाली स्थापना” के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाईन लिए मेसर्स पावरग्रिड फतेहगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स पावरग्रिड फतेहगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड ने 01.10.2020 (टाइम्स ऑफ़ इंडिया, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति) के स्थानीय अखबारों तथा भारत के राजपत्र साप्ताहिक दिनांक 31.10.2020 से 06.11.2020 में पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था । इसके पश्चात, मेसर्स पावरग्रिड फतेहगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड ने 02.01.2021 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि भारत के समाचार पत्रों / राजपत्रों में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना "राजस्थान एसईजेड, भाग-बी से एलटीए अनुप्रयोग से सम्बन्धित पारेषण प्रणाली स्थापना" के तहत विद्युत लाईने बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाईनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:

फतेहगढ-II - भादला-II 765 के.वी. डी./ सी. लाईन

स्कीम के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाईन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

राज्य: राजस्थान

जिला	तहसील	गाँवों के नाम
जैसलमेर	फ़तेहगढ़	जिंदे की ढाणी, सांवता, कराड़ा, मंडनवाली माली, रासला, मेहराजोत, अचला, नया अचला
जैसलमेर	पोखरण	लखासर(मोदजी की ढाणी), खूहड़ा, चारणों की ढाणी, कुंपसिंह की ढाणी, ख़ुदा की ढाणी, जेठमल की ढाणी, खुहरो का ताला, सदरासर, शादिर की ढाणी, सांकड़ा, भैरणियाँ की ढाणी, लखजी की ढाणी, ऐदानजी की ढाणी, रावजी की ढाणी, बलवंतसिंह की ढाणी, बिशनसिंह की ढाणी, खेतसिंह की ढाणी, भोपालसिंह की ढाणी, नागणीयो की ढाणी, दलपतपुरा, लाढ़ू खान की ढाणी, नागू की ढाणी, शेर खान की ढाणी, गमनन की ढाणी, छुट्टराराम की ढाणी, जसवन्तपुरा, जैमला, आणेसा, धुड़सर
जैसलमेर	भनियाणा	कानासर, रायसिंहपुरा, तेलीवाड़ा, गुडला मागरा, रूपज़ी की ढाणी, माडवा, हिरजी की ढाणी, बालूजी की ढाणी, बारट का गाँव, हिंगलाज धाम, मेड्वा, झलारिया, नरसिंहपुरा, हनुमान बेड़ा, रायपालों की ढाणी, भाख़री, कोजराज सिंह की ढाणी
जोधपुर	ढेचु	रावतगढ़, लालपुरा, सोढों का मण्डला, जालपुरी, डेडिया, खेड़ा बागोडिया, बनियाल की ढाणी
जोधपुर	फलोदी	विश्नोई चक, केलणनगर, उमाणीनगर, भादुनगर, मनणावर, मठोल की ढाणी, श्रीपाबूसर, बामणू, ढढ्ढू, पृथ्वीराजसिंह नगर, रामशक्तिनगर, सांवरीज, अणदरानाडा, दयासागर, मीरनगर, पाबु चौरन, उदाणियों की ढ़ाणी, होपारडी, कलरा, मुसलमानों की ढाणी, मोखेरी, जोधसिंह की ढाणी, मारवाड़ बिठरी, कुण्डल, फलोदी, एकां भाटिया, सदावता, भोजका, गोपा, मयाकोर, उदयनगर, जागरिया, मोहरा, बड़ी बावड़ी, चन्द्रनगर, छोटी बावड़ी, बावड़ी कलां
जोधपुर	बाप	जोड़, जोड़ की नहरवाली ढाणी, गोल हिण्डाल, सुल्तान नगर, बापी, सौन्धा, शेखासर, खीरवा, बधाउड़ा, सिंधीपुरा, भोजो की बाप चक 1&2, मालियों का बास, बाप, बड़ी ढाणी(बरूखान की ढाणी), घटोर, भीमजी का गाँव, महादेवपुरा, सुथारी की ढाणी, सेवाराम की ढाणी, पदमसिंह की ढाणी, लुम्बानिया, बावड़ी बरसिंगा, मनचितिया, बड़ी सिरड, कांजी की सिरड, जोधसिंह की सिरड, हरलाल की ढाणी, किशनेरी जैती, कानसिंह की सिड, भोमियाजी का भाकर, भरता सर, बावड़ी, मिल, गाड़ना, नयागाँव, जवार की ढाणी, मिठूराम की ढाणी, इस्माइल की ढाणी, गुडा, कल्याणसिंह की सिरड

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स पावरग्रिड फतेहगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाईन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाईनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है-

(i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

(ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

(iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

(iv) आवेदक संबंधित केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

(v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

(vi) मेसर्स पावरग्रिड फतेहगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

वी. के. मिश्रा, सचिव

[विज्ञापन/–III/4/असा./04/2021-22]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, 8th March 2021

F. No. CEA-PS-11-21(21)/5/2020-PSPA-I Dvison.—whereas M/s Powergrid Fatehgarh Transmission Limited (PFTL), the applicant with its registered office at B9 Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi, India -110016, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric lines under the transmission scheme “Transmission system associated with LTA applications from Rajasthan SEZ Part-B”.

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. CEA-PS-11-16(14)/1/2019-PSPA-I Division dated 08.04.2019 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Powergrid Fatehgarh Transmission Limited for the overhead line covered under the transmission scheme “Transmission system associated with LTA applications from Rajasthan SEZ Part-B”.

M/s PFTL has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 01.10.2020 (Times of India, Dainik Bhaskar, Dainik Navjyoti) and in Weekly Gazette of India dated 31.10.2020 to 06.11.2020 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s PFTL has submitted an affidavit dated 02.01.2021 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines covered under the transmission scheme “Transmission system associated with LTA applications from Rajasthan SEZ Part-B”. The following overhead line is covered under this transmission scheme:

1. Fatehgarh-II – Bhadla -II 765kV D/c line.

The above overhead line included under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

STATE: RAJASTHAN

District	Tehsil	Name of Villages
Jaisalmer	Fatehgarh	Jinde ki Dhani, Sanwata, Karara, Mandanwali Mali, Rasla, Mehrajot, Achala, Naya Achala
Jaisalmer	Pokaran	Lakhasar(Modji ki Dhani), Khuhada, Charanon ki Dhani, Kumpsingh ki Dhani, Khuda ki Dhani, Jethmal ki Dhani, khuhro ka Tala, Sadrasar, Shadir ki Dhani,

		Sankra, Bhairaniyan ki Dhani, Lakhji ki Dhani, Aidanji ki Dhani, Raoji ki Dhani, Balwantsingh ki Dhani, Bishansingh ki Dhani, Khetsingh ki Dhani, Bhopalsingh ki Dhani, Naganio ki Dhani, Dalpatpura, Ladu Khan ki Dhani, Nagu ki Dhani, Sher khan ki Dhani, Gamnan ki Dhani, Chuttraram ki Dhani, Jaswantpura, Jemla, Anesa, Dhursar
Jaisalmer	Bhaniyana	Kanasar, Raisinghpura, Teliwara, Gudala Magra, Rupji ki Dhani, Marwa, Hirji ki Dhani, Baluji ki Dhani, Barat ka Gaon, Hinglaj Dham, Merwa, Jhalaria, Narsinghpura, Hanuman Bera, Raipalon ki Dhani, Bhakhri, Kojraj Singh ki Dhani
Jodhpur	Dechu	Rawatgarh, Lalpura, Sodon ka Mandla, Jaalpuri, Dediya, Khera Bagodiya, Baniyal ki Dhani
Jodhpur	Phalodi	Vishnoi Chak, Kelannagar, Umaninagar, Bhadunagar, Mananavar, Mathol ki Dhani, Sripabusar, Bamnu, Dadu, Prithvirajsingh Nagar, Ramshaktinagar, Sanvrij, Andaranada, Dayasagar, Meernagar, Pabu Chauran, Udaniyon ki Dhani, Hopardi, Kalra, Musalmanon ki Dhani, Mokheri, Jodhsingh ki Dhani, Marwar Bithri, Kundal, Phalodi, Ekan Bhatiya, Sadavata, Bhojka, Gopa, Mayakor, Udainagar, Jagriya, Mohra, Bari Bavri, Chandranagar, Chhoti Bavri, Bavadi kalan
Jodhpur	Bap	Jod, Jod ki Naharwali Dhani, Gol Hindal, Sultan Nagar, Bapi, Soundha, Shekhasar, Khirwa, Badhaura, Sindhipura, Bhojon Ki Bap Chak 1&2, Maliyon Ka Bas, Bap, Bari Dhani(Barukhan ki Dhani), Ghator, Bhimji ka Gaon, Mahadeopura, Suthari ki Dhani, Sewaram ki Dhani, Padamsingh ki Dhani, Lumbaniya, Bavadi Barsinga, Manchitiya, Bari Sird, Kanji ki Sird, Jodhsingh ki Sird, Harlal ki Dhani, Kishneri Jaiti, Kansingh ki Sid, Bhomiyaji ka Bhakar, Bharta Sar, Bavdi, Mill, Gadna, Nawagaon, Jawar ki Dhani, Mithuram ki Dhani, Ismail ki Dhani, Gura, Kalyansingh ki sird

Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Powergrid Fatehgarh Transmission Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

(i) The approval is granted for 25 years;

(ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;

(iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

(iv) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

(v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

(vi) M/s Powergrid Fatehgarh Transmission Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

V.K. MISHRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./04/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.04.01 22:50:53 +05'30'